

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या।

प्रेस-विज्ञप्ति

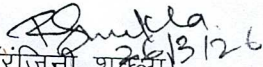
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की पराविधिक स्वयं सेवक योजना के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में मुख्यालय व तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्न लक्षित समूहों में से ऐसे व्यक्तियों को जो विधिक सेवा जन समूह को उपलब्ध कराने व निचले व कमजोर तबके के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके विकास व सामाजिक उत्थान हेतु इच्छुक हों को पराविधिक स्वयं सेवक के चयन में वरीयता दी जाएगी। एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। अधिवक्ता आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।

लक्षित समूह-

1. अध्यापक(सेवानिवृत्त अध्यापकों सहित)।
2. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक।
3. एम.एस.डब्ल्यू, छात्र व अध्यापक।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
5. चिकित्सक।
6. छात्र व विधि छात्र(जब तक कि वह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते)।
7. एन.जी.ओ. व क्लब के गैर राजनीतिक सदस्य।
8. महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य सेवा समूह के सदस्य।
9. शिक्षित बन्दी जो अच्छे व्यवहार के हों तथा लम्बी अवधि की सजा कारागार में काट रहे हों। (अधीक्षक जिला कारागार बन्दियों को यह सूचना उपलब्ध कराये व अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रसारित कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियत तिथि तक प्रेषित करें।)
10. अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति इस हेतु अर्ह समझें।

अतः जन-साधारण से अनुरोध है कि जो व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक के अन्तर्गत चयनित होना चाहते हैं वे अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- 02.04.2026 सायं 05.00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र की प्रति कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है अथवा जनपद न्यायालय फैजाबाद की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त साक्षात्कार दिनांक- 07.04.2026 तथा 08.04.2026 को आयोजित किया जायेगा जिसमें उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त से संबंधित कोई भी सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।


(रंजिनी शुक्ला)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अयोध्या।

उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जन-साधारण को जानकारी देने हेतु समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें-

1. सम्पादक दैनिक जागरण
2. सम्पादक जनमोर्चा
3. सम्पादक हिन्दुस्तान
4. सम्पादक अमर उजाला
5. सम्पादक स्वतन्त्र चेतना
6. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
7. नोटिस बोर्ड माननीय जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष फैजाबाद बार एसोसियेशन, कार्यालय जिलाधिकारी फैजाबाद में चरपा हेतु एवं जनपद की तहसीलों को इस आशय से प्रेषित कि वे जन साधारण को जानकारी हेतु अपने यहां नोटिस बोर्ड पर चरपा कराये
8. जनपद न्यायालय फैजाबाद की वेबसाइट पर भी यह सूचना अपलोड की जाये
9. अधीक्षक जिला कारागार को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय फैजाबाद

पैरा-लीगल वालिन्टियर की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम -
2. अभ्यर्थी का नाम-
3. पिता/पति का नाम -
4. फोन नं०/मो० नं० -
5. जन्म तिथि - (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. राष्ट्रियता -
7. जाति - (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति)
8. स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता -
..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. शैक्षिक योग्यता - (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. टारगेट ग्रुप - (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. कार्य करने का स्थान -
12. प्रशिक्षण एवं अनुभव -

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गई सभी जानकारियाँ/सूचनायें सत्य हैं इनमें मैं से किसी सूचना/जानकारी के गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। सभी प्रमाण पत्र स्वाप्रमाणित संलग्न करें।

Approved
10/08/15

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर